कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर, पिन-844102)
ईमेल: deovaishali.edn@gmail.com, deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय आदेश

श्रीमती अपराजिता, विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरादपुर, प्रखंड- महुआ, वैशाली द्वारा समर्पित आवेदन, चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र के आलोक में, उनके द्वितीयक गर्भधारण (प्रसव की संभावित तिथि माह सितम्बर 2026) हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक सेवा नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें दिनांक 05.08.2026 से नियमानुसार 180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

स्वीकृत मातृत्व अवकाश की अवधि में शिक्षिका का नियमित वेतन भुगतान नियमानुसार निर्वाध रूप से जारी रहेगा। साथ ही, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत अवकाश की प्रविष्टि शिक्षिका की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करेंगे।

अवकाश समाप्ति के उपरांत शिक्षिका को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समक्ष योगदान समर्पित करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक: 1560 दिनांक: 21/07/2026

प्रतिलिपि:- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महुआ / प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरादपुर, महुआ / श्रीमती अपराजिता, विद्यालय अध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.7.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

21/7/26